भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3115

गुरुवार, 11 जुलाई, 2019/20 आषाढ़, 1941 (शक)

फास्टैग जारी करना

3115. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न टॉल प्लाजाओं पर यातायात जाम को सुगम बनाने के लिए फास्टैग जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी टॉल प्लाजाओं पर फास्टैग धारकों के लिए समर्पित लेन नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सभी टॉल प्लाजाओं पर ऐसे टैग धरकों के लिए समर्पित लेन बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या कुछ टॉल प्लाजा फास्टैगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): शुल्क प्लाजाओं पर यातायात के सुचारू आवागमन को सुगम बनाने और जाम को कम करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेडियो आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीओ) प्रणाली के कार्यान्वयन से एक कैशलेस भुगतान प्रणाली अर्थात फास्टैग को शुरू किया है जिसके तहत सड़क उपयोगकर्ताओं को फास्टैग जारी करने के लिए 22 बैंकों को जारीकर्ता बैंकों के रूप में लगाया गया है। वर्तमान में, यह राष्ट्रीय राजमार्गों पर 457 शुल्क प्लाजाओं पर संचालित हैं।

(ख) से (ङ): वर्तमान में, 87 शुल्क प्लाजा ईटीसी प्रणाली पर नहीं हैं। सरकार ऐसे शुल्क प्लाजाओं के लिए ईटीसी की स्थापना के काम के लिए प्रयास कर रही है।

*****